संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 1 जुलाई, 1989

संख्या एफ.7(1) संसद/98 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) नियम, 1989 एवं (संशोधन नियम 2019

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार व आरम्भ :-**(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा #भूतपूर्व-सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) नियम, 1989 एवं (संशोधन) नियम 2019 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त हुए समझे जावेंगे।

2. परिभाषाएं :-इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;

(ख) ''पास'' से नियम 3 के अधीन जारी ''पहचान एवं सड़क यात्रा पास'' अभिप्रेत है;

(ग) *''भूतपूर्व सदस्य'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन प्राप्त करता है या पेंशन का हकदार है;

@(गग) कुटुम्ब पेंशनर से मृतक भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति और जो अधिनियम की धारा 4ग के अधीन कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार है, अभिप्रेत है;

(घ) ''प्रमुख सचिव'' से प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों को करने के लिए विशेषत: सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी सम्मिलित है;

(ड) ''सेवा बस'' में राजस्थान राज्य का पथ परिवहन निगम द्वारा चलायी गयी सभी प्रकार की बसें या संविदा के आधार पर चलायी गई बस सम्मिलित है;

@ एफ. 7(2) संसद/2019 दिनांक 03.12.2019 से प्रकाशित

(च) ''राज्य परिवहन'' से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा अभिप्रेत है।

3. @पास पर यात्रा करने के हकदार भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर :-इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्बर पेंशनर को प्रमुख सचिव द्वारा परिशिष्ट-कक में दिये गये प्ररुप में दो मुफ्त अनन्तरणीय पास दिये जायेंगे जिससे वह और उसके साथ का कोई अन्य व्यक्ति राज्य परिवहन की सेवा बसों में किसी भी समय और ऐसे किसी भी मार्ग पर जिस पर राज्य परिवहन बसें चलती हैं, नि:शुल्क यात्रा करने का हकदार होगा।

@4. पास पर यात्रा करने के लिए हकदार @भूतपूर्व सदस्य.– प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा परिशिष्ट-खख में सपर्ण ''भूतपूर्व सदस्य और उसके परिचर के बस यात्रा प्रपत्र'' से युक्त चार पुस्तकें दी जायेंगी। प्रत्येक पुस्तक में 50 क्रम संख्यांक होंगे और जब तक एक पुस्तक समाप्त न हो जाये, भूतपूर्व सदस्य दूसरी पुस्तक का उपयोग नहीं करेंगे और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर भूतपूर्व सदस्य पुस्तकें प्रमुख सचिव को लौटा देंगे और जब तक पुस्तक उपरोक्तानुसार लौटाई नहीं जाती है तब तक सचिव अगले वर्ष के लिए नयी पुस्तकें जारी नहीं करेगा।''

4क. पास पर यात्रा करने का हकदार कुटुम्ब पेंशनर:- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कुटुंब पेंशनर को प्रमुख सचिव द्वारा परिशिष्ट-खख में सपर्ण कुटुम्ब पेंशनर और उसके परिचर के बस यात्रा प्रपत्र से युक्त दो पुस्तकें दी जायेंगी। प्रत्येक पुस्तक में 50 क्रम संख्यांक होंगे और जब तक एक पुस्तक समाप्त न हो जाये, कुटुम्ब पेंशनर दूसरी पुस्तक का उपयोग नहीं करेंगे और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कुटुम्ब पेंशनर पुस्तकें प्रमुख सचिव को लौटा देगा और जब तक पुस्तकें उपर्युक्तानुसार लौटाई नहीं जाती है तब तक सचिव अगले वर्ष के लिए नयी पुस्तकें जारी नहीं करेगा।''

5. यात्रा की प्रक्रिया :- (1) यात्रा के प्रारम्भ में #भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर प्रपत्र तथा उसके पर्णों को भरेगा और बस के कण्डक्टर को प्रपत्र दे देगा। तत्पश्चात् कण्डक्टर यात्रा के लिए वसूली योग्य किराये की राशि #भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर के पास रहने वाले पर्ण में भरेगा। प्रत्येक पृथक् यात्रा के लिए पृथक् प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा और बस बदलने की दशा में भिन्न-भिन्न बसों से की जाने वाली प्रत्येक यात्रा के लिए पृथक् प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा।

(2) भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर , जब कण्डक्टर या राज्य परिवहन का इस सम्बन्ध में यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मांगे तब अपना पास निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जो भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर अपनी सीट आरक्षित कराने का इच्छुक हो, सीट आरक्षण हेतु शुल्क का भुगतान करने पर ऐसा करा सकेगा।

@ अधिसूचना सं. एफ7(2) संसद/2019 दिनाक 03.12.2019

6. अनुमत सामान :- भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर अपने साथ उतना सामान नि:शुल्क ले जा सकेगा जितना उस दर्जे के लिए जिसमें उक्त सदस्य/कुटुम्बर पेंशनर यात्रा करता है किसी यात्री को नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है, तथा अधिक सामान, यदि कोई हो के लिए भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर को इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

7. पास के विधिमान्य रहने की अवधि :- (1) इन नियमों के अधीन जारी किया गया पास केवल उस अवधि के दौरान मान्य रहेगा जिसमें उसका धारणकर्त्ता, अधिनियम की धारा 4-क के उपबन्धों के अधीन भूतपूर्व सदस्य बना रहता है और ज्योंही धारणकर्ता की भूतपूर्व सदस्यता समाप्त हो वैसे ही वह पास प्रमुख सचिव को लौटा देगा।

(2) इन नियमों के अधीन जारी किया गया पास केवल उस अवधि के दौरान विधि मान्य रहेगा जिसमें दूसरा धारणकर्त्ता अधिनियम की धारा 4-ग के उपबंधों के अधीन कुटुम्ब पेंशनर बना रहता है और ज्योंही ही धारणकर्त्ता कुटुम्ब पेंशनर नहीं रहता/रहती है वैसे ही वह पास सचिव को लौटा देगा/देगी।

8. पास आदि के खोने की रिपोर्ट :-जब किसी भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर का पास या नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक खो जाये तब वह इस तथ्य की रिपोर्ट, तुरन्त प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा और कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को करेगा। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर प्रमुख सचिव पास के लिए @पचास रुपये प्रति पास तथा नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक के पचास रुपये प्रति पुस्तक का भुगतान भूतपूर्व सदस्य या यथास्थिति कुटुम्ब पेंशनर द्वारा किये जाने पर उस (भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर) के नाम नया पास/नयी नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। यदि पास/नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक तदुपरांत मिल जाये तो वह सचिव को सौंप दी जायेगी।

9. यात्रा के लिये देय राशि का भुगतान के लिए उपबन्ध :- भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर द्वारा की गयी यात्रा के लिये देय राशि का, जिसका निर्धारण राज्य परिवहन विभाग द्वारा भुगतान हेतु भेजे गये भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर बस यात्रा प्रपत्रों (द्वितीय पर्ण) के आधार पर किया जायेगा। भुगतान विधान सभा के बजट में से किये जाने की व्यवस्था सचिव द्वारा की जायेगी।

***10. विलोपित

[सं. एफ. 7 (1) संसद/98]
राज्यपाल के आदेश से,
पी. ए. सिन्हा
शासन सचिव।

@ प.7(2)संसद/2019 दिनांक 03.12.2019 से

परिशिष्ट-'कक'

(नियम 3 देखिए)

पहचान एवं सड़क यात्रा पास

राजस्थान राज्य परिवहन

(राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर पहचान एवं सड़क यात्रा पास)

अनन्तरणीय

नाम...आयु.........................

(भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर)

पता..

भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर और उसके साथ के किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बसों में मुफ्त यात्रा के लिए उपलब्ध

हस्ताक्षर...................................

(पेंशनर सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर)

पता..

तारीख.................................

फोटो
भूतपूर्व सदस्य/
कुटुम्ब पेंशनर

सचिव,
राजस्थान विधान सभा

@ एफ 7 (2) संसद/2019 दिनांक 3.12.2017

1. जिस भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर को यह पास जारी किया जाता है वह इसकी सुरिक्षत अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। खो जाने की स्थिति में मामले की रिपोर्ट तत्काल प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा और महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन को की जायेगी।

2. अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन या यथास्थिति धारा 4 ग के अधीन कुटुम्ब पेंशन के समाप्त हो जाने पर इस पास को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

3. यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व इस पास के अधीन की जाने वाली यात्रा के ब्यौरे यात्रा प्ररूप में भरकर बस के कण्डक्टर के सुपुर्द किये जायेंगे।

4. यह पास राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क @या 4ड और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन के जारी किया जाता है और इससे की जाने वाली आशयित यात्रा के लिए बस में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए काम में लिया जा सकता है।

5. उन्हीं नियमों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिनसे यात्रा टिकट विनियमित होते हैं, जहां तक ये राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाये गये नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, इस पास को यात्रा टिकट समझा जायेगा।

@एफ 7(2) संसद/2019 दिनांक 3.12.2019 से प्रभावित।

परिशिष्ट 'खख'

(नियम 4 और 4क देखिये)

(*भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर का और उसके परिचायक का पेंशनर सदस्य बस यात्रा प्रपत्र)

राजस्थान राज्य परिवहन

(*भूतपूर्व सदस्य/@कुटुम्ब पेंशनर का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)

पुस्तक सं.................................

क्रम सं...................................

(पर्ण)

(*भूतपूर्व सदस्य/@कुटुम्ब पेंशनर भर कर अपने पास रखेगा)

यात्रा का समय और तारीख..............

बस सं....................................

बस का प्रकार

(साधारण या डीलक्स)

राजस्थान राज्य परिवहन

(*भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)

पुस्तक सं.................................

क्रम सं...................................

(द्वितीय पर्ण)

(*परिचालक भर कर अपने पास रखेगा)

यात्रा का समय और तारीख..............

बस सं....................................

बस का प्रकार

(साधारण या डीलक्स)

राजस्थान राज्य परिवहन

(*भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)

पुस्तक सं.................................

क्रम सं...................................

(तृतीय पर्ण)

(*परिचालक भर कर अपने पास रखेगा)

यात्रा का समय और तारीख..............

बस सं....................................

बस का प्रकार

(साधारण या डीलक्स)

@ एफ7(2) संसद/2019 दिनांक 3-12-2019 से

मैं एक परिचायक के साथ

मैं………………से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य/@कुटुम्ब   पेंशनर

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

मैं एक परिचायक के साथ

मैं………………से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य/@कुटुम्ब   पेंशनर

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

मैं एक परिचायक के साथ

मैं………………से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य/@कुटुम्ब   पेंशनर

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

@ एफ7(2)संसद/2019 दिनांक 03-12-2019 w.e.f. तुरन्त